



RANCHI UNIVERSITY RANCHI

अधिसूचना एम.फिल. प्रवेश परीक्षा-2016

निम्नांकित विषयों में न्यूनतम 55% (पचपन प्रतिशत) तथा अ.ज.जा. एवं अ.जा. के लिए 50% (पचास प्रतिशत) अंक अथवा समतुल्य ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी एम.फिल. पाठ्यक्रम (2015-2016) में नामांकन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 19.03.2016 को अपराहन 4.00 बजे तक निर्धारित परीक्षा शुल्क- रु. 500/- (पाँच सौ) किसी भी बैंक के बैंक ड्राफ्ट जो कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची को देय हो, बैंक चालान के साथ ओ.बी.सी. बैंक की राँची विश्वविद्यालय शाखा में जमा किया जा सकता है।

1. हिन्दी, 2. उर्दू, 3. बंगला, 4. अंग्रेजी, 5. जनजातीय एवं क्षेत्रिय भाषा, 6. दर्शन शास्त्र, 7. इतिहास, 8. अर्थ शास्त्र, 9. भूगोल, 10. राजनीति शास्त्र, 11. मानव विज्ञान, 12. मनो विज्ञान, 13. समाज शास्त्र, 14. गृह विज्ञान, 15. भूगर्भ शास्त्र, 16. जीव विज्ञान, 17. वनस्पति शास्त्र, 18. भौतिक शास्त्र, 19. रसायन शास्त्र, 20. गणित, 21. संस्कृत एवं 22. वाणिज्य।

आवेदन प्रपत्र दिनांक 01.03.2016 से 17.03.2016 तक विश्वविद्यालय कार्यालय के बिक्री काउन्टर से रु. 300/- (सामान्य तथा ओ.बी.सी. कोटि) एवं रु. 200/- (अ.ज.जा. तथा अ.जा. कोटि) नगद भुगतान कर अथवा विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.ranchiuniversity.ac.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर निर्धारित तिथि को होगी।

प्रवेश परीक्षा से संबंधित अतिरिक्त आवश्यक सूचना प्रवेश पत्र के साथ भेजी जाएगी।

डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र निर्धारित परीक्षा शुल्क रु. 500/- के अतिरिक्त आवेदन प्रपत्र के मूल्य के रूप में यथा उपयुक्त रु. 300/- अथवा रु. 200/- किसी भी बैंक के बैंक ड्राफ्ट जो कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय को राँची में देय होगा के साथ परीक्षा नियंत्रक, राँची विश्वविद्यालय के कार्यालय में जमा किया जा सकता है अथवा निर्बंधित डाक द्वारा निम्न पते पर भेजा जा सकता है।

पता - परीक्षा नियंत्रक, राँची विश्वविद्यालय, शहीद चौक, राँची, झारखण्ड - 834001

ह०/-

कुलसचिव

राँची विश्वविद्यालय, राँची

ज्ञापांक: 5520

दिनांक 27/2/16

प्रतिलिपि :-

1. स्नातकोत्तर विभाग के सभी विभागाध्यक्ष,
2. सभी संकाय के संकायाध्यक्ष,
3. वित्त पदाधिकारी, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
4. सभी पदाधिकारी, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
5. प्रभारी सामान्य भंडार, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
6. कुलपति/प्रतिकुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।



कुलसचिव

राँची विश्वविद्यालय, राँची